न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 236/2025

1. पांचूराम उर्फ पांचू उम्र करीबन 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री श्रवण पत्नि हनुमान जी लागडी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. नाबालिग कर्नल पुत्र गणेश सरंक्षक सरपरस्त माता सजना देवी पत्नि गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
3. गीता पुत्री मंगला पत्नि सत्यनारायण जी भडाणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोगादित तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
4. गीता पत्नि रामा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
5. गोपाल पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
6. घमला देवी पुत्री श्रवण पत्नि जयराम पोसवाल जाति गुर्जर निवासी बिंजरवाडा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
7. जोरावर गुर्जर पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
8. दयाल पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
9. धन्ना पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
10. धर्मीचन्द पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
11. नन्दू गुर्जर पुत्री रामलाल पत्नि कैलाश बागडी जाति गुर्जर निवासी रहलाना तहसील दूदू जिला अजमेर राजस्थान ।
12. नन्दा पुत्र अमरा जाति गुर्जर निवासी ग्राग खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
13. बिरमलाल पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजगेर राजस्थान।
14. ममता पुत्री मंगला पत्नि रतन भडाणा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भोगादित तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
15. माया देवी पुत्री श्रवण पत्नि सत्यनारायण लागडी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटम तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
16. राजा पत्नि भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
17. रोडी देवी पत्नि श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
18. लाली देवी पत्नि मंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
19. विश्राम पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

नीतू मीणा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

देवी पत्नि गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

सत्यनारायण पुत्र मंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

22. सुरज्ञान पुत्री अमरा पत्नि बाबूलाल ओई जाति गुर्जर निवासी ग्राम पेडीभाटा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
23. सांवरलाल पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
24. राजू पुत्र महावीर जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
25. सत्यनारायण पुत्र महावीर जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
26. भूरी देवी पुत्री महावीर पत्नि छितर दरोगा जाति दरोगा निवासी ग्राम गुण्डोती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
27. काना पुत्र किशना जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
28. शिवराज पुत्र किशना जाति दरोगा निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
29. नन्दू देवी पत्नि छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
30. मूली पत्नि सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
31. रुकमा पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
32. रेखा पुत्री छीतर पत्नि छोटू खटाणा जाति गुर्जर निवासी चान्दणा की ढाणी (सरगांव) तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
33. रामकरण पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
34. रामेश्वर पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
35. हरि पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
36. कानाराम पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
37. हीरा देवी पत्नि लादूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
38. भू–धारी तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 06.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि खातेदारी की आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

गढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 370 रकबा 3.1794 र भूमि है जिसमें प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कि चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है कि उत्तर :— खसरा नम्बर 354 गै०मु०रास्ता, दक्षिण :— खसरा नम्बर 381 (सरकारी भूमि), पूर्व :— खसरा नम्बर 372 (अप्रार्थी संख्या 1 से 23 की भूमि), पश्चिम खसरा नम्बर 368 (अप्रार्थी संख्या 36 व 37) खसरा नम्बर 1023/369 (अप्रार्थी संख्या 24 से 28 की भूमि) खसरा नम्बर 369 (अप्रार्थी संख्या 24 से 26) खसरा नम्बर 386, 383 (अप्रार्थी संख्या 29 से 35)। उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है उपरोक्त वर्णितानुसार एकल खातेदारी की आराजीयात है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की नींव—सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 37 द्वारा आये दिन प्रार्थी की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थी की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान बाबत् प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2025 को सीमाज्ञान अप्रार्थी संख्या 36 के निर्देशानुसार किया गया है पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थी की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थी एवं मौके पर बार—बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थी की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा धारा 111 भू—राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 12.09.2025 को उत्पन्न हुआ अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर मेड़, सींव, नीव को लेकर विवाद उत्पन्न किया तब प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2025 को पटवारी हल्का द्वारा किया गया हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है पंरतु अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान से असंतुष्टी जाहीर कि गई हैं। अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से आराजी में नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थी की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

क प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 38, भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 प्रार्थी की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं खसरा नम्बर 372 में खातेदार रतनी पत्नि अमरा, व सोनकी पत्नि लक्ष्मण फौत होने से उसके विधिक वारीसान पुर्व से जमाबन्दी में इन्द्राज होने से पक्षकार संयोजित है एवं खसरा नम्बर 369, 1023/369 में खातेदार महावीर के फौत होने से प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 24 से 26 विधिक वारीसान होने से पक्षकार संयोजित है, एवं खसरा नम्बर 1023/369 में कंचन पत्नि किशना के फौत होने से उसके विधिक वारीसान पक्षकार संख्या 24 से 28 को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्या है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थी कि एकल खातेदारी कि आराजी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस / जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.05.2026 तक भी बावजूद तलबी के अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 से 37 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 06.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 38 पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि यदि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा के अनुसार वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
3. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा पैरोकार सरकार द्वारा सहमति देने के कारण दिनांक 06.05.2026 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.06.2025 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 370 के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाना न्यायौचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 2000/— अक्षरे दो हजार रू0 तय कर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जातें हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ स्थित खसरा संख्या 370 रकबा 3.1794 हैक्टेयर भूमि का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

प्रस्तुत करे। तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पड़ोसी खातेदारान को सूचना त्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुड़वाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

नीतूमीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

राजस्व वाद पत्र संख्या 236 / 2023 उनवान पांचूराम बनाम इन्द्रा

06/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 02, 20, 24, 25, 26, 30, 33 के रजि. डाक से तामील शा. मि।

प्रा. पत्र में अप्रार्थी सं. 01 से 37 को तामिल हो चुकी है, किन्तु वे अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी 01 से 37 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी 38 ने अनापत्ति जाहिर की।

वकील प्रार्थी की प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act पर बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शे के अनुसार वादग्रस्त भूमि की प्रविष्टि करदी जावे तो अप्रार्थी 38 को कोई आपत्ति नहीं है।

पै. सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	राजस्व वाद संख्या......./.......उनवान..........बनाम..........	
19/1/2025	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 13/5/2025 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई तहसील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब दिनांक 20/5/25 को पेश हो।	
20/5/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 5/6/2025 को पेश हो।	
5/6/25	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते जवाब/बहस दिनांक 12/6/25 को पेश हो।	
12/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप./अप्रार्थी सं. 01 से 29 को तामिल हो चुकी है किन्तु वे अनुपस्थित हैं अतः अप्रार्थी 1 से 29 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पटवार हल्का ने अनापत्ति जारी की। वकील प्रार्थी की धारा 111/128 LR Act पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित पत्रावली के शा. मि. पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	वर्तमान जमाबंदी [illegible] के अनुसार [illegible] पत्रावली [illegible] है तो पटवार [illegible] को कोई आपत्ति नहीं है 12-6-25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 237/2025

1. गजेन्द्र कुमार सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
2. गणेश लाल सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
3. गोरी शंकर सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
1. पवन कुमार सेन पुत्र स्व० हनुमान जाति नाई
2. मोरा पत्नि स्व० हनुमान जाति नाई

सर्व निवासीगण ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान — प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नि पाबूलाल जाति नाई
2. नाबालिग अदिती सैन पुत्री जगदीश संरक्षक माता मंजू देवी जाति नाई
3. नाबालिग कृष्णा सैन पुत्री जगदीश संरक्षक मात्रा मंजू देवी
4. नाबालिग खुशाल सैन पुत्री जगदीश संरक्षक माता मंजू देवी जाति नाई
5. गोगा देवी पत्नि धन्नाराम जाति नाई काढ़ा तह किशनगढ जि. अजमेर
6. धन्नालाल पुत्र पाबूलाल, जाति नाई
7. नटवरलाल पुत्र रामरतन जाति नाई
8. ना. नन्दनी सैन पुत्री जगदीश संरक्षक माता मंजू देवी जाति नाई
9. नारायण पुत्र रामरतन जाति नाई
10. नाबालिग मुकेश पुत्र गोविन्द संरक्षक सुरज्ञान जाति नाई
11. मंजू देवी पत्नी स्व. जगदीश जाति नाई
12. मुन्नी पुत्र गोपाल जाति नाई
13. मनीषा पुत्र गोपाल जाति नाई
14. रामदेवी पत्नी गोपाल जाति नाई
15. लाली पुत्री पाबूलाल जाति नाई
16. संतोष पुत्री गोपाल जाति नाई
17. संतोष पुत्र पाबूलाल जाति नाई
18. सुनीता पुत्री गोपाल जाति नाई
19. नाबालिग सुमन पुत्र गोविन्द संरक्षक सुरज्ञान नाई
20. सुरज्ञान पत्नि गोविन्द जाति नाई
21. सुरेन्द्र पुत्र गोविन्द संरक्षक सुरज्ञान जाति नाई
22. सांवरा पुत्र भागीरथ जाति नाई
23. सायरा पुत्र पाबूलाल जाति नाई

नीतू मीणा
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

4. सोनी पुत्री पाबूलाल जाति नाई
सोराज पुत्र पाबूलाल जाति नाई
26. ममता देवी सैन पत्नि नारायण लाल सैन
27. गोगा देवी पत्नी धन्नाराम जाति नाई
28. शिवराज पुत्र पाबूराम जाति नाई
29. सुरज्ञान देवी पत्नी गोविन्द जाति नाई
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 मू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री नारायण लाल सैन एवं
श्री विमल किशोर तिवाडी

दिनांक 19.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री नारायण लाल सैन के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 मू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम काढ़ा, पटवार हल्का बालापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 362 के खसरा संख्या 634 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीगण के ही कब्जा व उपयोग उपमोग में चली आ रही है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 634 के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण (चारो दिशाओं) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 29 व राज. सरकार की भूमि स्थित है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे ळें प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार साहब, किशनगढ़ को दिया गया था जिस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 17.07.2025 को तैयार किया गया था। मौके पर मौका पर्चा तैयार कर उपस्थित प्रार्थी गणेशलाल व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये है। उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थी–गणेशलाल सन्तुष्ट नहीं हुआ। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग करके कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 29 के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रार्थीगण को पड़ौसी खातेदार बिना किसी वजह के प्रार्थीगण को काश्त करने में में बाधा रूकावट कारित करते रहते हैं. जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 634 की भूमि की विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

भूमि की पत्थर गढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह उपयोग उपभोग काश्त करते है तब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य विवाद होते रहते है एवं प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 को बनायी गयी है उसके बाद भी विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ळें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 29 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा की सीमाओ से लगती हुई स्थित होने से पडौसी खातेदार एवं काश्तकार एवं खसरा संख्या 611 गै.मु. रास्ता राज. सरकार के नाम होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 30 को राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित होने से श्रीमान् को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त ळें प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की कब्जे एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम काढ़ा, पटवार हल्का बालापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 362 के खसरा संख्या 634 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 सम्पूर्ण प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.05.2026 तक भी बावजूद तलबी के अनुपस्थित रहने से दिनांक 13.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 से 29 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 13.05.2026 को अप्रार्थी संख्या 30 पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि यदि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा के अनुसार वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
3. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा पैरोकार सरकार द्वारा सहमति देने के कारण दिनांक 06.05.2026 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 634 रकबा 2.4270 हैक्टेयर का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 634 के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाना न्यायौचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 2000/–

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अक्षरे दो हजार रू0 तय कर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जातें हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 634 रकबा 2.4270 हैक्टेयर भूमि का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)